## <u>न्यायालयः</u>— विशेष <u>न्यायाधीश (डकैती), गोहद,जिला भिण्ड</u> (समक्षः पी०सी०आर्य)

विशेष प्रकरण<u>क्रमांकः 02/2015</u> संस्थित दिनांक-05.03.2003 फाईलिंग नंबर-2303010001322003

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला—भिण्ड (म०प्र०) ————<u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह यादव उम्र 50 साल निवासी मोहनपुरा पी०एस० मुरार जिला ग्वालियर म०प्र०

> राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक आरोपीगण द्वारा श्री बी०एस० यादव अधिवक्ता ।

## —::— <u>निर्णय</u> —::— (आज दिनांक 31 मार्च 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 394 भा०द०सं० सहपठित धारा—398 एवं 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 07.04.01 को दिन के करीब 12.00 बजे जिला भिण्ड थाना मालनपुर क्षेत्र के अंतर्गत एटलस साईकिल फैक्ट्री के समीप अन्य सह अभियुक्तगण सहित लखविन्दरसिंह, आनंद पाण्डे व अजय तिवारी के आधिपत्य से दस लाख रूपये की लूट का प्रयत्न किया और उस दौरान आग्नेयास्त्र से सज्जित रहे और आग्नेयास्त्र से गोली चलाई।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय है कि अन्य सह अभियुक्तगण मुकेश व दलवीरसिंह के विरूद्ध पूर्व में ही दिनांक 11.12.06 को ही निर्णय पारित किया जा चुका है।
- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 07.04.01 को 14.30 बजे दिन में फरियादी लखिवन्दरसिंह अ0सा0—1 ने थाना मालनपुर जिला भिण्ड में इस आशय की लिखित में सूचना दी कि साढे ग्यारह बजे वह अजय तिवारी के साथ बैंक श्रमिकों के वेतन लेने हेतु व आनंद पाण्डेय हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाने के लिये गया था। करीब दस लाख रूपये लेने के बाद वह तीनों व्यक्ति कंपनी के लिये रवाना हुए। वापिस अपने कार्यालय आते समय एटलस कंपनी के पास लाल रंग की सुजूकी मोटरसाईकिल से दो अज्ञात व्यक्ति आये तथा उनकी गाडी को अवरोध कर मोटरसाईकिल रोक दी तथा चालक की तरफ की खिडकी पर तमंचे की

मुिटया से प्रहार किया और गाड़ी को रोकने के लिये कहा लेकिन वह अपनी कार को लेकर अपनी फैक्ट्री के गेट के अंदर की ओर आ गया। उसी समय कंपनी के गेट के सामने से अज्ञात आरोपीगण तमंचा लहराते हुए निकल गये।

- 4. फरियादी लखविन्दरसिंह की उक्त लिखित रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में अप.क.—53/01 धारा—393, 120 बी भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन इत्यादि की कार्यवाही उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।
- 5. अभियोग पत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध के विरूद्ध धारा 398 भा०दं०ंसं० एवं 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।
- 6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
  - 1. क्या दिनांक 07.04.2001 को घटनास्थल डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता था?
  - 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक 07.04.01 को दिन लगभग 12.00 बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड के क्षेत्रांतर्गत अन्य सह अभियुक्तगण के साथ संयुक्त रूप से कार्य करते हुए फरियादी लखविन्दरसिंह से 10,00,000 / —रूपये की लूट का प्रयन किया?
  - 3. क्या आरोपी ने उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादीगण से दस लाख रूपये की लूट के प्रयत्न में आग्नेय अस्त्र से गोली चलाई?

## <u> —::- निष्कर्ष के आधार</u> :--

## विचारणीय प्रश्न कमांक- 1, 2 व 3 का निराकरण

- 7. उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।
- 8. अभियोजन की ओर से प्रकरण में लखविन्दरसिंह (अ०सा० 1), अजय तिवारी (अ०सा० 2), आर०सी० कर्ण (अ०सा० 3), के०डी० सोनकिया (अ०सा० 4) की साक्ष्य कराई है । आरोपी की ओर से बचाव साक्ष्य में किसी भी साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी गयी है तथा अभियोजन की ओर से प्र०पी०–1

9. परीक्षित साक्षियों में से लखविन्दर अ०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह पहले जमुना ऑटो फैक्ट्री में काम करता था। और गाडी चलाता था। दिनांक 07.04.01 को फैक्ट्री के कैशियर अजय तिवारी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मालनपुर शाखा से साढे चौदह लाख रूपये नगद निकलवाकर कार से लौटकर आये थे एक व्यक्ति और भी साथ में था। कार का नंबर उसे याद नहीं है और जब वे एटलस साईकिल फैक्ट्री के सामने पहुंचे तो दो बदमाश मोटरसाईकिल से पीछा करते हुए आये और कार के आगे मोटरसाईकिल लगाकर कार रोक दी। तथा उन्हें नीचे उतरने के लिये कहा और झुके तब वह कार को भगा ले गया किन्तु उस दौरान बदमाशों ने गोली चलाकर कार के टायर फोड दिया था। बदमाश अज्ञात थे। घटना के संबंध में अजय तिवारी के साथ वह थाना मालनपुर रिपोर्ट करने के लिये गया था। और प्र0पी0-14 की रिपोर्ट लिखाई गई थी। किन्तु उक्त साक्षी ने पैरा-2 में विचाराधीन आरोपी के संबंध में यह कहा है कि लूटेरों में हाजिर अदालत आरोपी (गजेन्द्र) सम्मिलित नहीं था। इस आधार पर उसे अभियोजन की ओर पक्ष विरोधी घोषित करते हुए उससे पूछे गये सूचक प्रश्नों में उसने विचाराधीन आरोपी के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। न ही अभियोजन का समर्थन किया है और इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि बदमाशों में आरोपी गजेन्द्र भी था और उसके भय व प्रभाव के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि उसने आरोपी गजेन्द्र को मौके पर देख लिया था और पहचान लिया था। और उसने चूंकि नौकरी छोड दी है इसलिये वह आरोपी को पहचानने से इन्कार कर रहा है।

3

- 10. इस तरह से प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी लखिवन्दर जो कि ध ाटना के समय जिस वाहन से रूपये ले जाये जा रहे थे, उसका चालक था और उसने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और उसकी अभिसाक्ष्य आरोपी के विरूद्ध नहीं है तथा कथानक मुताबिक आनंद पुत्र अवधेश पाण्डे को भी साथ में होना बताया गया है जिसे अभियोजन की ओर से वर्तमान आरोपी के विचारण में पेश कर परीक्षित नहीं कराया गया है।
- 11. अजय तिवारी अ०सा०—2 ने अपने अभिसाक्ष्य में यही बताया है किदिनांक 07.04.01 को वह मालनपुर स्थित जमुना ऑटो इण्डस्ट्री में केशियर के पद पर कार्यरत था तथा उक्त इण्डस्ट्री में कार्मिक शाखा में तथा लखिवन्दरसिंह वाहन चालक था। और उक्त दिनांक को वह आनंद पाण्डे और लखिवन्दर सिंह के साथ इण्डस्ट्री के लेखा प्रबंधक की कार से भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मालनपुर गये थे और वहाँ से दस लाख रूपये निकलवाकर लौट रहे थे। तब एटलस चौराहे पर दो मोटरसाईकिल सवारों ने उसकी कार के टायर पर गोली चलाई थी। टायर में गोली लगने और मोड होने के कारण उनकी कार धीमी हो गयी थी। फिर मोटरसाईकिल सवारों में से एक कार चालक की ओर झपटा था, दूसरा मोटरसाईकिल पर ही बैठा रहा था। तब उसने लखिवन्दर को गाडी तेज भगाने के लिये कहा था तो लखिवन्दर ने कार को तेज भगाया जिससे वह इण्डस्ट्री के परिसर में पहुंच गये थे।

12. अ०सा०-2 ने यह भी कहा है कि मोटरसाईकिल पर जो लोग आये थे वह अपरिचित थे और घटना कुछ ही सैकेण्डों में हो गयी थी। और वह बचाव के लिये भाग लिये थे इसलिये मोटरसाईकिल सवार बदमाशों को पहचान नहीं पाये थे और मोअरसाईकिल पर पंजीयन क्रमांक की तख्ती भी नहीं लगी थी तथा वे सामने आने पर भी बदमाशों को नहीं पहचान सकते हैं। पैरा-4 में उसका यह भी कहना है कि उसने लखविन्दर व आनंद ने संयुक्त रूप से रिपोर्ट लिखाई थी जो लेखी रिपोर्ट प्र0पी0-1 है।

4

- 13. इस तरह से अजय तिवारी अ0सा0—2 के द्वारा भी आरोपी गजेन्द्र को नहीं पहचाना गया है न ही उसका घटना कारित करने वाले व्यक्तियों में सिम्मिलित होने की साक्ष्य दी है। अ0सा0—1 व 2 के अभिसाक्ष्य से केवल यही तथ्य स्थापित हो सकता है कि वे घटना वाले दिन जमुना ऑटो इण्डस्ट्री मालनपुर जिला भिण्ड में कार्यरत थे और भारतीय स्टेट बैंक शाखा मालनपुर से इण्डस्ट्री के दस लाख रूपये निकालकर वापिस इण्डस्ट्री में जा रहे थे तब रास्ते में एटलस फैक्ट्री के सामने उनके साथ लूट की वारदात का प्रयास मोटरसाईकिल सवार लोगों के द्वारा किया गया किन्तु उनमें हाजिर अदालत आरोपी था, इस आशय का कोई भी तथ्य नहीं आया है इसलिये दोनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य से आरोपी गजेन्द्र का लूट के प्रयत्न की घटना में सिम्मिलत होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है।
- 14. ए०एस०आई० आर०सी० कर्ण अ०सा०—3 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि वह अप्रेल 2001 में थाना मालनपुर में पदस्थ था। दिनांक 07.04.01 को सुबह करीब फरियादी लखिवन्दरसिंह के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा लूट के प्रयास संबंधी लिखित रिपोर्ट दी गई थी। जिस पर से अप०क०—53/01 धारा—393 भा०दं०ंसं० कायम करते हुए प्र०पी०—14 की एफ०आई०आर० लेखबद्ध की थी और विवेचना में दिनांक 09.04.01 को मौके पर पहुंचकर प्र०पी०—12 का नक्शामौका तैयार किया गया था। विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही फरियादी लखिवन्दरसिंह, प्रहलादसिंह, विनोदसिंह के तथा दिनांक 22.04.01 को राजकुमारसिंह का और दिनांक 25.04.01 को अजय तिवारी, आनंद कुमार पाण्डे, राधेश्याम, अनुज कुमार के तथा दिनांक 12.05.01 को अमरसिंह और दिनांक 17.05.01 को राकेशसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।
- 15. अ०सा०—3 ने यह भी बताया है कि दिनपांक 14.05.01 को उसने विवेचना के दौरान आरोपी बलवीरसिंह का प्र0पी0—6 का मेमोरेण्डम कथन लिया था जिसमें उसने घटना में गजेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह यादव निवासी मोहनपुर का शामिल होना बताया था। शेष विवेचना के०डी० सोनकिया के द्वारा की गई थी। यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में आरोपियों की कोई शिनाख्ती परेड नहीं कराई गई। लेकिन इस बात से इन्कार किया है कि बलवीरसिंह ने गजेन्द्र के नाम नहीं बताया था। उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य मुताबिक आरोपी गजेन्द्र को हस्तगत मामले में सह अभियुक्त बनाये गये बलवीरसिंह के प्र0पी0—6 के ज्ञापन के आधार पर अभियोजित किया गया है।
- 16. धारा-27 साक्ष्य विधान के उपबंध मुताबिक- अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी- परन्तु जब किसी तथ्य के बारे

- अ०सा०-3 के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्र०पी०-6 का ज्ञापन उसने कब किसके समक्ष लिया। प्र0पी0–6 का अवलोकन किया गया। प्र0पी0-6 के मृताबिक आरक्षक जगराम सिंह और आरक्षक रामबख्श के समक्ष मेमोरण्डम की कार्यवाही की गई थी। प्र0पी0-6 में घटना में जिस मोटरसाईकिल का उपयोग किया गया, उसके संबंध में बरामदगी की जानकारी दी गई थी और बरामदगी की जनकारी का तथ्य ही धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणित करने पर ग्राह्य योग्य हो सकता है। किन्त् जहाँ तक यह प्रश्न है कि जानकारी के आधार पर गजेन्द्रसिंह का शामिल होना माना जाये, यह सर्वप्रथम तो ग्राह्य योग्य नहीं है, दूसरी ओर पंच साक्षियों में से किसी का भी कथन नहीं कराया गया है। इसलिये प्र0पी0-6 एएसआई आरसीकर्ण के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो सका है। इसलिये अ०सा0-3 का अभिसाक्ष्य भी आरोपी के विरूद्ध नहीं माना जा सकता है। और उसकी यह स्वीकारोक्ति कि रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध की गई थी, ऐसे में अभियुक्तों की पहचान परेड धारा–9 साक्ष्य विधान के मुताबिक करायी जाना आवश्यक थी जिसका प्रकरण में सर्वथा अभाव है। तथा अ०सा०–1 व 2 के कथन आरोपी के विरूद्ध न होने तथा आनंद पाण्डे के परीक्षित न होने से आरोपी के विरूद्ध मामला संदिग्ध हो जाता है। और यह देखना होगा कि क्या अन्य साक्षी तत्कालीन थाना प्रभारी केंंग्डीं० सोनकिया अ०सा०–४ के अभिसाक्ष्य से घटना संदेह से परे प्रमाणित होती है या नहीं।
- इस संबंध में के0डी0 सोनकिया अ0सा0-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 20.04.01 को वह थाना प्रभारी गोहद के पद पर पदस्थ था। तब वह तत्कालीन एसडीओपी हुकुमसिंह यादव के साथ थाना मालनपुर गया था। वहाँ पर यह ज्ञात हुआ था कि थाना मालनपुर के अप०क०-53 / 01 धारा-393, 120 बी भा०दं०ंसं० के आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त की गई एक मारूति कार सुरेशसिंह चौहान चौहान प्याउ के गैरिज में डाल दी है। इस पर से उसी दिन गवाह हरगोविन्द जाटव व जबरसिह जाटव व एसडीओपी गोहद के साथ सुरेश सिंह चौहान के चौहान प्याउ स्थित क्लासिक गैरिज पर गया था। और उसी दिन गैरिज मालिक सुरेशसिंह चौहान के प्रस्तुत करने पर एक मारूति कार क्रमांक—डी०एल0—05 सी—5357 मारूति कार का रजिस्द्रेशन व उसकी छायाप्रति व एक हैलमेट प्र0पी0-9 के मुताबिक जप्ती पत्रक बनाकर जप्त किया था। तत्पश्चात गैराज मालिक सुरेशसिंह चौहान का कथन लिया था। जिस पर उसने उक्त वाहन बल्लू राणा निवासी शिवाजी नगर और उसके एक साथी द्वारा मरम्मत के लिये डालना बताया था। जिसके संबंध में साक्षी हरगोविन्द जाटव व बलवीरसिंह जाटव के भी उसने कथन लिये थे और मरम्मत के लिये डाली गई मारूति कार को खिंचवाकर थाना गोला का मंदिर में रखवाया था फिर वहाँ से थाना मालनपुर मय

6

दस्तावेजों व मय जप्ती पंचनामा के सौंप दी थी जो कार का रिजस्ट्रेशन मिला था एस0एम0 व्यास पुत्र आर0के0 व्यास निवासी यमुना विहार दिल्ली का नाम लिखा था। इस बात से इन्कार किया है कि मारूति कार कलावती के नाम से दर्ज थी। कलावती द्वारा सुपुर्दगी पर न्यायालय से प्राप्त की गई या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। इस बात से इन्कार किया है कि उसने जो भी कार्यवाही की वह थाना मालनपुर पर झूंठी की है।

- 19. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मामला पूरी तरह से असत्य है। स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है और कोई भी दस्तावेज प्रमाणित नहीं है। तथा मूल अभियुक्त दिलीपसिंह व मुकेशसिंह पूर्व में ही दोषमुक्त हो चुके हैं इसलिये आरोपी को भी दोषमुक्त किया जावे। जिसका विद्वान लोक अभियोजक ने विरोध किया है।
- 20. घटना का आधार प्र0पी0-1 की लेखी रिपोर्ट है जिसमें मोटरसाईकिल पर दो अज्ञात नवयुवकों का लूट की वारदात को अंजाम देने के लिये प्रयास करने की घटना बताई गई है जिसमें उनका हुलिया भी बताया गया है। किन्तु उसके बावजूद शिनाख्ती परेड का न कराया जाना अभियोजन के लिये अत्यंत घातक है।
- 21. जहाँ तक तत्कालीन टी०आई० के०डी०सोनकिया के कथन का प्रश्न है, उसमें मारूति कार के संबंध में कार्यवाही की जिसका इस प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है। अभिलेख पर जो साक्ष्य पेश की गई है उससे प्र0पी0-7 का जप्ती पत्र भी प्रमाणित नहीं है जिसमें मोटरसाईकिल की जप्ती एएसआई आरसी कर्ण द्वारा करना बतायी गई थी। तथा महत्वपूर्ण साक्षी को अभियोजन ने परीक्षित भी नहीं कराया है। तथा जो साक्षी परीक्षित कराये गये हैं उसमें सर्वाधिक महत्व के साक्षी अ0सा0-1 व 2 ही थे जिसने आरोपी गजेन्द्र के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है इसलिये आरोपी के विरूद्ध मामला संदिग्ध हो जाता है। हालांकि यह सही है कि दिनांक 07.04.01 को जिला भिण्ड की सीमा में मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधि नियम 1981 के प्रभावशील न होने के संबंध में कोई आक्षेप नहीं किया गया है। इसलिये उक्त अधिनियम के प्रावधान घटना दिनांक को भिण्ड जिले की स्थानीय सीमा में प्रभावशील होने का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है किन्तु आरोपी के लूट के प्रयत्न की किसी वारदात में सम्मिलित होने संबंधी लेश मात्र भी साक्ष्य नहीं आई है। इसलिये युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि उसने दिनांक 07.04.01को दिन में करीब 12.00 बजे एटलस साईकिल फैक्ट्री के समीप मालनपुर में अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर जमुना ऑटो इण्डस्ट्री के कर्मचारी लखविन्दर, आनंद पाण्डे और अजय तिवारी से दस लाख रूपये की लूट का प्रयत्न किया और उक्त प्रयत्न को करने में आग्नेय अस्त्र से गोली चलाई क्योंकि जिस कार्य से फरियादीगण का भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मालनपुर से रूपये निकालकर इण्डस्ट्री की ओर जाना बताया गया है उस कार के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। न ही कार के टायर में गोली लगने का कोई प्रभाव बताया गया है। जैसाकि अ०सा0-1 के अभिसाक्ष्य में गोली चलाकर टायर फोडने की बात आई है। उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। इसलिये आरोपी को धारा–394 भा0दं०ंसं०

सहपठित धारा—398 एवं 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 22. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 23. चूंकि आरोपी आज प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में पेश हुआ है अतः उसके प्रोडक्शनवारण्ट पर यह नोट लगाया जावे कि आरोपी को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है अतः यदि अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे इस प्रकरण में तत्काल रिहा किया जावे।
- 24. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्रमांक— एम0पी0— 06एच— 6392 पूर्व से सुपुर्दगीदार राजवीर की सुपुर्दगी में है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि उपरान्त निरस्त समझा जावे। एवं प्रकरण में जप्तशुदा मारूति कार क्रमांक—डी0एल0—5 सी—5357 अपील अवधि उपरान्त उसके रजिस्टर्ड स्वामी को वापिस की जावे। एवं प्रकरण में जप्शुदा हैलमेट व टीशर्ट मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरान्त हैल्मेट फोडकर एवं टीशर्ट फाडकर नष्ट किये जावें। 25. निर्णय की नकल डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांकः 31 मार्च 2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड